सत्यमेव जयते	राजस्थान राज पत्र विशेषांक	RJ BIL/2000/1717 RAJASTHAN GAZETTEE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 13, सोमवार, शाके 1922, दिसम्बर 4, 2000 Agrahayana 13, Monday, Saka 1922 December 4, 2000	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 4, 2000

जी.एस.आर.-74 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ:-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 है।

(2) इन नियमों का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) ये नियम शासकीय राज-पत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :-**

जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में:-

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(ख) प्ररूप से अभिप्रेत है इन नियमों में उपाबद्ध प्ररूप और

(ग) धारा से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

3. **गर्भावधि :-**

धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के प्रयोजन के लिये गर्भावधि अट्ठाईस सप्ताह होगी।

4. **रिपोर्ट प्रस्तुत करना :-**

धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट, इन नियमों से उपाबद्ध विहित प्ररूप में तैयार की जायेगी और यह धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ, प्रत्येक वर्ष के जिससे वह रिपोर्ट संबंधित है, पश्चात्वर्ती वर्ष की 31 जुलाई तक, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

5. **जन्म और मृत्यु की सूचना देने के लिये प्रारूप आदि :-**

(1) रजिस्ट्रार को जन्म, मृत्यु और मृत जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिये यथास्थिति धारा 8 या धारा 9 के अधीन दी जाने के लिये अपेक्षित इत्तिला क्रमशः प्ररूप संख्या 1, 2 एवं 3 जिन्हें इससे आगे सामूहिक तौर पर रिपोर्टिंग प्ररूप कहा गया है, में होगी। यदि इत्तला मौखिक रूप में दी जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे सुसंगत रिपोर्टिंग प्ररूप में दर्ज किया जायेगा और इत्तलादाता के हस्ताक्षर कराये जायेंगे / अंगूठे का निशान लगवाया जायेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट इत्तला, जन्म, मृत्यु और मृत जन्म की तारीख से 21 दिन में दी जायेगी।

(3) रिपोर्टिंग प्ररूप के विधि जानकारी वाले भाग को विधिक भाग और सांख्यिकीय जानकारी वाले भाग को 'सांख्यिकीय भाग' कहा जायेगा।

6. धारा 8(1)(च) के अधीन जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये अपेक्षित व्यति :-

(1) यदि किसी गतिमान यान में जन्म या मृत्यु होती है तो उसकी बाबत धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली इत्तला यान का प्रभारी व्यक्ति प्रथम विराम स्थान पर देगा या दिलवायेगा। यदि गतिमान यान का प्रभारी, यान में हुई मृत्यु की इत्तिला प्रथम विराम स्थल पर नहीं देता है तो मृत्यु की ऐसी घटना का रजिस्ट्रीकरण उस स्थान पर किया जाना चाहिये जहाँ मृतक का दाहकर्म/अन्तिम संस्कार किया जाता है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिये 'यान' शब्द से भूमि, वायु या जल पर प्रयुक्त होने वाली किसी भी प्रकार की सवारी अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत कोई वायुयान, नाव, पोत, रेलवाहन, मोटरकार, मोटर साईकिल, गाड़ी, तांगा और रिक्शा भी है।

(2) ऐसी मृत्यु की दशा में (जो धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) के अन्तर्गत नहीं आती) जिसमें मृत्यु समीक्षा की गई है, धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन इत्तिला वह अधिकारी देगा या दिलवायेगा जो मृत्यु की समीक्षा करता है।

7. धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र का प्ररूपः-

मृत्यु के कारण की बाबत धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रारूप संख्या 4 और 4 क में जारी किया जायेगा और रजिस्ट्रार, मृत्यु के रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने के पश्चात् उस मास के ऐसे सभी प्रमाणपत्र जिससे प्रमाण पत्र सम्बन्धित है। ठीक पश्चात्वर्ती मास की 10 तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

8. धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना :-

(1) इत्तिला देने वाले व्यक्ति को जन्म और मृत्यु से सम्बन्धित रजिस्टर में से धारा 12 के अधीन दिये जाने वाले विशिष्टियों के उद्धरण, यथा-स्थिति, प्ररूप संख्या 5 या प्ररूप संख्या 6 में होंगे।

(2) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लेखित जन्मों और मृत्युओं के घर में होने वाली घटनाओं के मामले में जिनकी जानकारी जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रार को सीधे भेजी जाती है, घर अथवा परिवार का मुखिया जैसा भी मामला हो, अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित मुखिया का नजदीकी रिश्तेदार घटना की सूचना देने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार से जन्म अथवा मृत्यु के उद्धरण प्राप्त कर सकता है।

(3) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लेखित जन्मों और मृत्युओं की घर में होने वाली घटनाओं के मामले में, जिनकी जानकारी उक्त धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा दी जाती है और उक्त निर्दिष्ट व्यक्ति जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रार से प्राप्त उद्धरण यथास्थिति सम्बन्धित घर अथवा परिवार के मुखिया को अथवा उसकी अनुपस्थिति में घर में उपस्थित मुखिया के किसी नजदीकी रिश्तेदार को रजिस्ट्रार द्वारा उद्धरण जारी करने के तीस दिन के भीतर देगा।

(4) धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख से ङ) में उल्लेखित जन्मों और मृत्युओं की संस्थागत घटनाओं के मामले में नवजात शिशु अथवा मृतक का नजदीकी रिश्तेदार सम्बन्धित संस्थान के अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति से जन्म अथवा मृत्यु की घटना घटने के तीस दिन के भीतर उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

(5) यदि उप नियम (2) से (4) में यथा उल्लेखित सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक जन्म अथवा मृत्यु के उद्धरण एकत्र नहीं किये जाते हैं तो उप नियम (4) में यथा उल्लेखित संबंधित संस्थान के रजिस्ट्रार अथवा अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति उक्त उल्लेखित अवधि के समाप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर संबंधित परिवार को डाक से उद्धरण भेजेगा।

9. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिये प्राधिकारी और उसके लिये देय फीस :-

(1) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी इत्तला नियम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चातृ किन्तु जन्म या मृत्यु की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, एक रुपये की विलम्ब फीस दिए जाने पर ही किया जायेगा।

(2) ऐसे किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी इत्तिला रजिस्ट्रार को उसके होने के तीस दिन के पश्चात् किन्तु एक वर्ष के भीतर दी जाती है, जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से और एक रुपए की विलम्ब फीस दिए जाने तथा नोटेरी पब्लिक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

(3) यदि किसी जन्म या मृत्यु का उसके होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया जाता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर और एक रुपये विलम्ब फीस दिए जाने पर ही उसका रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा।

10. धारा 14 के प्रयोजन के लिये अवधि :-

(1) जहाँ किसी बालक का जन्म किसी नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया है वहाँ ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक बालक के नाम के सम्बन्ध में इत्तिला मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को बालक के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बारह मास के भीतर देगा।

परन्तु यदि ऐसी कोई इत्तिला बारह मास की अवधि के पश्चात किन्तु 15 वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसकी गणना निम्न रूप में की जाएगी:-

(1) ऐसे मामले में जहाँ रजिस्ट्रीकरण राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1986 के लागू होने की तारीख से पूर्व किया गया है, उक्त तारीख से अथवा

(2) ऐसे मामले में जहाँ रजिस्ट्रीकरण राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 1986 के लागू होने की तारीख के बाद किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बशर्ते कि रजिस्ट्रार धारा 23 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन:

(क) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में है तो पांच रुपये की विलम्ब फीस दिए जाने पर सम्बन्धित प्ररूप के सुसंगत खाने में जन्म रजिस्टर में नाम दर्ज करेगा।

(ख) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में नहीं है और यदि इत्तिला मौखिक रूप में दी गई है तो आवश्यक विशिष्टियाँ देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और यदि इत्तला लिखित में दी गई है तो ऐसी इत्तिला पांच रुपये की विलम्ब फीस दिए जाने पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा।

(2) यथा-स्थिति, माता या पिता या अभिभावक, धारा 12 के अधीन उसे दिए गए उद्धरण की प्रति या धारा 17 के अधीन उसे दिया गया प्रमाणिक उद्धरण, रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रार बालक के नाम से संबंधित आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) में अधिकथित रूप से कार्यवाही करेगा।

11. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना:-

(1) यदि रजिस्ट्रार को यह रिपोर्ट दी जाती है कि रजिस्टर में कोई लिपिकीय या प्ररूपिक त्रुटि हो गई है या यदि ऐसी किसी त्रुटि का उसे अन्यथा पता लगता है और यदि रजिस्टर उनके कब्जे में है तो रजिस्ट्रार इस विषय में जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई त्रुटि हो गई है तो वह धारा 15 में उपबंधित रूप में (उस प्रविष्टि को ठीक या रद्द करके) त्रुटि को ठीक करेगा और ऐसी प्रविष्टि का एक उद्धरण जिसमें यह दर्शित किया जाएगा कि त्रुटि क्या थी और उसे कैसे ठीक किया गया है, जिला रजिस्ट्रार को भेजेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट मामले में, यदि रजिस्टर, रजिस्ट्रार के कब्जे में नहीं है तो वह राज्य सरकार को या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिपोर्ट करके सुसंगत रजिस्टर मंगाएगा तथा इस विषय में जांच करने के पश्चात् यदि उनका समाधान हो जाता है तो ऐसी कोई त्रुटि हुई है तो वह आवश्यकतानुसार उसे ठीक करेगा।

(3) रजिस्ट्रार से रजिस्टर प्राप्त होने पर, उपनियम (2) में उल्लेखित रूप में ठीक की गई त्रुटि पर, राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी प्रति हस्ताक्षर करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति प्राख्यान करता है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः त्रुटिपूर्ण है तो रजिस्ट्रार उस व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई घोषणा प्रस्तुत कर दी जाने पर, जिसमें त्रुटि के स्वरूप और मामले के सही तथ्यों को दर्शित किया गया है और जो दो ऐसे विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा की गई है जिन्हें तथ्यों का या मामले का ज्ञान है, धारा 15 के अनुसार प्रविष्टि को ठीक कर सकेगा।

(5) उपनियम (1) और उप नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार उनमें निर्दिष्ट प्रकार की ठीक की गई किसी त्रुटि की, आवश्यक ब्यौरे सहित, रिपोर्ट राज्य सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी को देगा।

(6) यदि रजिस्ट्रार को समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर में कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है तो वह मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेशों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को धारा 25 के अधीन आवश्यक ब्यौरों सहित एक रिपोर्ट देगा और उसके निदेशानुसार उस विषय में आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(7) ऐसे प्रत्येक मामले की सूचना, जिसमें इस नियम के अधीन कोई प्रविष्टि ठीक या रद्द की गई है, उस व्यक्ति को, जिसने धारा 8 या 9 के अधीन इत्तिला दी है, उसके स्थाई पते पर भेजी जायेगी।

12. धारा 16 के अधीन रजिस्टर का प्रारूपः-

प्ररूप संख्या 1, 2 और 3 के विधिक भाग से क्रमशः जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर (प्ररूप संख्या 7, 8 और 9) बनेगा।

13. धारा 17 के अधीन संदेय फीस और डाक महसूलः-

(1) धारा 17 के अधीन की जाने वाली तलाशी, जारी किए जाने वाले उद्धरण अथवा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के लिये संदेय फीस निम्नलिखित होगी-

(क) किसी एक प्रविष्टि की बाबत तलाशी के लिये तलाश किये जाने वाले प्रथम वर्ष के लिए 2.00 रुपये

(ख) तलाश किए जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिये 2.00 रुपये

(ग) प्रत्येक जन्म अथवा मृत्यु से संबंधित उद्धरण देने के लिये 5.00 रुपये

(घ) जन्म अथवा मृत्यु का अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देने के लिए 2.00 रुपये

(2) किसी जन्म या मृत्यु के सम्बन्ध में कोई उद्धरण, रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, प्ररूप संख्या 5 या प्ररूप संख्या 6 में जारी किया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।

(3) यदि जन्म अथवा मृत्यु की कोई विशिष्ट घटना रजिस्टर नहीं हुई है तो रजिस्ट्रार प्ररूप संख्या 10 में अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) मांगने वाले व्यक्ति को ऐसा उद्धरण अथवा अनुपलब्धता प्रमाणपत्र उसके लिये डाक महसूल रुपये 20/- का संदाय कर दिए जाने पर, डाक द्वारा भेजा जायेगा।

14. धारा 19(1) के अधीन अन्तराल और कालिक विवरणियों के प्ररूप :-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् प्रत्येक माह से संबंधित रिपोर्टिंग प्ररूपों के सांख्यिकीय भागों को, जन्मों के लिये प्ररूप संख्या 11, मृत्युओं के लिये प्ररूप संख्या 12 और मृत जन्मों के लिये प्ररूप संख्या 13 में मासिक सार रिपोर्ट के साथ प्रत्येक मास की पाँच तारीख को या उससे पहले मुख्य रजिस्ट्रार को या उनके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट व्यक्ति/अधिकारी को भेजेगा।

(2) इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी, उसके द्वारा प्राप्त किए गए रिपोर्टिंग प्रारूपों के ऐसे सभी सांख्यिकी भागों को माह की 10 तारीख तक मुख्य रजिस्ट्रार को भेजेगा।

15. धारा 19 (2) के अधीन सांख्यिकीय रिपोर्ट :-

धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन सांख्यिकी रिपोर्ट में इन नियमों से उपाबद्ध विहित प्रारूपों में सारणियां सम्मिलित होगी और उसका संकलन संबंधित वर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष की 31 जुलाई से पूर्व किया जायेगा और उसका प्रकाशन उसके पश्चात् यथाशीघ्र किन्तु किसी भी दशा में उक्त तारीख से पांच मास के भीतर किया जायेगा।

16. अपराधों के प्रशमन की शर्तें :-

(1) धारा 23 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों के शुरू किए जाने से पूर्व या पश्चात् कर सकेगा किन्तु यह तब जब इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी को यह समाधान हो जाए कि अपराध अनवधानता से या भूल से या प्रथम बार किया गया है।

(2) ऐसे किसी अपराध का प्रशमन, धारा 23 की उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन वाले अपराधों के लिये अधिक से अधिक पचास रुपये और उपधारा (3) के अधीन वाले अपराधों के लिये अधिक से अधिक दस रुपये तक की ऐसी राशि के संदाय पर जो उक्त अधिकारी उचित समझे, किया जा सकेगा।

17. धारा 30 (2)(ट) के अधीन रजिस्टर और अन्य अभिलेख :-

(1) जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का रजिस्टर, स्थाई महत्व का अभिलेख होगा और वह नष्ट नहीं किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 13 के अन्तर्गत प्राप्त विलम्बित रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देने से सम्बन्धित अदालती आदेश तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश, जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और मृत जन्म रजिस्टर के अभिन्न अंग होंगे तथा वे नष्ट नहीं किए जायेंगे।

(3) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र मुख्य रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कम से कम 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा।

(4) जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का प्रत्येक रजिस्टर, रजिस्ट्रार द्वारा उस कलेण्डर वर्ष की जिससे वह सम्बन्धित है, समाप्ति के पश्चात् से बारह मास की कालावधि तक अपने कार्यालय में रखा जाएगा और तत्पश्चात् ऐसा रजिस्टर सुरक्षित अभिरक्षा के लिये जिला रजिस्ट्रार को अन्तरित कर दिया जायेगा।

18. फीस :-

अधिनियम के अधीन संदेय सभी फीसें, नकद अथवा मनीआर्डर या पोस्टल आर्डर द्वारा संदत्त की जा सकेगी।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति :-

इन नियमों के प्रभाव में आने के समय से, राजस्थान जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 1972 निरस्त हो जायेगा, बशर्ते कि निरस्त नियमों के अन्तर्गत कोई आदेश किया गया हो या कोई कार्यवाही की गई हो तो यह माना जायेगा कि ऐसी कार्यवाही इन नियमों के अन्तर्गत की गई है।

अधिनियम के कार्यकरण पर रिपोर्ट का फारमेट

(देखिए नियम 4)

(1) राज्य, उसकी सीमाओं और राजस्व जिलों का संक्षिप्त विवरण।

(2) प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन।

(3) क्षेत्रों में अन्तर के बारे में स्पष्टीकरण।

(4) रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र में विस्तार-परिवर्तन।

(5) विभिन्न स्तरों पर रजिस्ट्रेशन मशीनरी का प्रशासनिक ढांचा।

(6) इस अधिनियम के प्रति जनता की सामान्य प्रतिक्रिया।

(7) जन्म और मृत्यु की अधिसूचना।

(8) मृत्यु के कारणों के चिकित्सकीय प्रमाणन में प्रगति।

(9) अभिलेखों का संधारण।

(10) प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी।

(11) विलम्बित रजिस्ट्रीकरण।

(12) अपराधों का अभियोजन व प्रशमन।

(13) अधिनियम के क्रियान्वयन में आई कठिनाईयाँ:-

(1) प्रशासनिक,

(2) अन्य

(14) अधिनियम के अधीन जारी किये गये आदेश और अनुदेश।

(15) साधारण टिप्पणियाँ।

जन्म रिपोर्ट

विधिक सूचना

यह भाग जन्म पंजिका में लगाया जाना है।

सूचनादाता द्वारा भरा जाये।

(1) **जन्म तारीख :** (शिशु के जन्म की वास्तविक तारीख, माह व वर्ष लिखिए जैसे : 1.1.2000)

(2) **लिंग :** (पुरुष या स्त्री लिखिए) (संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(3) **शिशु का नाम, यदि कोई हो:**
(यदि नाम नहीं रखा गया हो तो रिक्त छोड़ दें)

(4) **पिता का नाम :**
(पूरा नाम जैसा कि प्राय: लिखा जाता है)

(5) **माता का नाम :**
(पूरा नाम जैसा कि प्राय: लिखा जाता है)

(6) माता/पिता का स्थाई पता :

(7) बच्चे के जन्म के समय माता-पिता का पता

(8) **जन्म स्थान :** (नीचे दी गई प्रविष्टि 1 या 2 पर सही का निशान लगाएं तथा अस्पताल/संस्थान का नाम या उस घर का पता लिखें जहां शिशु का जन्म हुआ है।)
(1) अस्पताल/संस्थान : नाम :
(2) घर : पता :

(9) सूचनादाता का नाम :
पता :

(1 से 22 तक की समस्त प्रविष्टियों को भरने के पश्चात् सूचनादाता दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करेगा।

सूचनादाता के हस्ताक्षर
तारीख या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

पंजीयक द्वारा भरे जाने हेतु

पंजीकरण सं. पंजीकरण की तारीख
पंजीकृत इकाई जिला :
नगर/गांव :
अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर

53

प्रपत्र संख्या 1 (देखिए नियम 5)

जन्म रिपोर्ट

सांख्यिकी सूचना

यह भाग अलग करके सांख्यिकीय प्रक्रिया हेतु भेजा जाना है

सूचनादाता द्वारा भरा जाये।

(10) **माता के निवास स्थान नगर या गांव :** (स्थान जहां सामान्यतया माता रहती हो। यह उस स्थान जहां शिशु का जन्म हुआ है से अलग हो सकता है। घर का पता लिखना आवश्यक नहीं है)

(क) नगर/ गांव का नाम :

(ख) गांव है या नगर : (नीचे दी गई प्रविष्टियों में से सही पर चिन्ह लगाएं)
(1) नगर (2) गांव

(ग) जिले का नाम :

(घ) राज्य का नाम

(11) **परिवार का धर्म :** (नीचे दी गई प्रविष्टियों में से सही पर चिन्ह लगाए)
(1) हिन्दू (2) मुस्लिम (3) ईसाई
(4) अन्य कोई धर्म (धर्म का नाम लिखिए)
(यदि नाम नहीं रखा गया हो तो रिक्त छोड़ दें)

(12) **पिता का शैक्षणिक स्तर :** (शिक्षा का पूर्ण स्तर लिखिए- उदाहरणार्थ यदि कक्षा VII तक पढ़ा है किन्तु कक्षा VI उत्तीर्ण की है, उस स्थिति में कक्षा VI लिखिए)

(13) **माता का शैक्षणिक स्तर :** (शिक्षा का पूर्ण स्तर लिखिए- उदाहरणार्थ यदि कक्षा VII तक पढ़ा है किन्तु कक्षा VI उत्तीर्ण की है, उस स्थिति में कक्षा VI लिखिए)

(14) **पिता का व्यवसाय :**
(यदि कोई व्यवसाय नहीं करता है तो शून्य लिखिए)

(15) **माता का व्यवसाय :**
(यदि कोई व्यवसाय नहीं करती है तो शून्य लिखिए)

नाम: कोड सं.
जिला :
तहसील :
नगर/गांव :
पंजीकरण इकाई

एक से अधिक शिशुओं के जन्म के मामलों में प्रत्येक शिशु के लिए अलग-अलग प्ररूप भरा जायेगा तथा नीचे दिए गए अभ्युक्ति स्तम्भ में जुड़वां या तीन बच्चों का जन्म जैसा भी मामला हो लिखा जायेगा।

(16) **विवाह के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षों में) :** (यदि एक से अधिक बार विवाह किया है तो प्रथम विवाह के समय की आयु लिखिए)

(17) **शिशु जन्म के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षों में) :**

(18) **माता के जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या (इस शिशु जन्म को सम्मिलित करते हुए):** (पूर्व विवाहों से पैदा हुए जीवित शिशुओं की संख्या, यदि कोई हो, सम्मिलित करें)

(19) **प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या:-**
(नीचे दी गई प्रविष्टियों में से उचित पर सही का निशान लगाएं)
(1) संस्थागत - सरकारी
(2) संस्थागत - निजी या गैर-सरकारी
(3) डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई
(4) परम्परागत जन्म परिचारक
(5) सम्बन्धी या अन्य द्वारा

(20) **प्रसव पद्धति :**
(निम्न प्रविष्टियों में से उचित पर सही का निशान लगाएं)
(1) प्राकृतिक (सामान्य)
(2) सिजेरियन
(3) फोरसेप/ शून्य (वैक्यूम)

(21) **जन्म के समय भार (कि.ग्रा. में) : (यदि उपलब्ध हो) :**

(22) **गर्भावस्था की अवधि (सप्ताहों में) :**
(सम्पूर्ण स्तम्भ भरने के पश्चात् बाईं तरफ हस्ताक्षर कीजिये)

पंजीयक द्वारा भरे जाने हेतु

पंजीकरण संख्या: पंजीकरण की तारीख
जन्म तारीख :
लिंग (1) पुरुष (2) स्त्री
जन्म का स्थान (1) अस्पताल/संस्थान (2) गृह

पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या 2 (देखिए नियम 5)

मृत्यु रिपोर्ट
विधिक सूचना

यह भाग जन्म पंजिका में लगाया जाना है।

सूचनादाता द्वारा भरा जाये।

(1) **मृत्यु की तारीख :** (मृत्यु का वास्तविक दिन, माह व वर्ष भरें, जैसे : 1.1.2000)

(2) **(क) मृतक का नाम :**
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यतया लिखा जाता है)

(3) **मृतक का लिंग :**
(पुरुष या स्त्री लिखिए) (संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(4) **मृतक के पिता/पति का पूरा नाम :**
(जैसा कि सामान्यतया लिखा जाता है)

(5) **मृतक की माता का पूरा नाम :**
(पूरा नाम जैसा कि प्राय: लिखा जाता है)

(6) **मृतक का पता:**

(7) **मृतक का मृत्यु के समय पता :**

(8) **मृतक की आयु :** (यदि मृतक की आयु एक वर्ष से अधिक की हो तो आयु पूर्ण वर्षों में लिखिए। यदि मृतक की आयु एक वर्ष से कम हो तो आयु माहों में लिखिए और यदि मृतक की आयु एक माह से कम हो तो आयु पूर्ण दिनों में लिखिए और यदि एक दिन से कम हो तो आयु घंटों में लिखिए।)

(9) **मृत्यु का स्थान :** (नीचे दी गई प्रविष्टि 1, 2, 3 में से उचित पर सही का निशान लगाएं तथा उसे अस्पताल/संस्थान का नाम या घर का पता लिखिए जहां मृत्यु हुई है, यदि अन्य स्थान पर हुई हो तो वहां की स्थिति बताइये।)
(1) अस्पताल/संस्थान   नाम :
(2) घर   पता :

(10) सूचनादाता का नाम :
पता :

(1 से 21 तक के स्तम्भों को भरने के पश्चात् सूचनादाता दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करेगा।

तारीख   सूचनादाता के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

पंजीयक द्वारा भरे जाने हेतु

पंजीकरण सं.   पंजीकरण की तारीख
पंजीकृत इकाई   जिला :
नगर/गांव :
अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर

मृत्यु रिपोर्ट
सांख्यिकी सूचना

यह भाग अलग करके सांख्यिकीय प्रक्रिया हेतु भेजा जाना है

सूचनादाता द्वारा भरा जाये।

(11) **मृतक का निवास स्थान नगर या गांव :** (स्थान जहां मृतक वास्तव में रहता था। यह उस स्थान से भिन्न हो सकता है जहां उसकी मृत्यु हुई है।)(घर का पता लिखना आवश्यक नहीं है)

(क) नगर/ गांव का नाम :

(ख) गांव है या नगर : (नीचे दी गई प्रविष्टियों में से सही पर चिन्ह लगाएं)
(1) नगर   (2) गांव

(ग) जिले का नाम :

(घ) राज्य का नाम

(12) **धर्म :** (नीचे दी गई प्रविष्टियों में से सही पर चिन्ह लगाए)
(1) हिन्दू   (2) मुस्लिम   (3) ईसाई
(4) अन्य कोई धर्म (धर्म का नाम लिखिए)

(13) **मृतक का व्यवसाय :**
(यदि कोई व्यवसाय नहीं करता है तो शून्य लिखिए)

(14) **मृत्यु से पूर्व प्रदान किया गया चिकित्सकीय उपचार :**
(निम्न प्रविष्टियों में से उचित पर निशान लगाइये)
(1) संस्थान
(2) संस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रकार से उपलब्ध कराया गया चिकित्सकीय उपचार
(3) कोई चिकित्सकीय उपचार नहीं किया गया:

नाम: कोड सं.
जिला :
तहसील :   पंचायत समिति
नगर/गांव :
पंजीकरण इकाई

सूचनादाता द्वारा भरा जाता है।

(15) **क्या मृत्यु का कारण चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित है ?**
(नीचे दी गई प्रविष्टियों में से उचित पर निशान लगाइये)
(1) हाँ   (2) नहीं

(16) **बीमारी का नाम या मृत्यु का वास्तविक कारण :** (किसी भी प्रकार से हुई मृत्यु के मामले में चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित या अप्रमाणित का विचार किए बिना)

(17) **यदि मृतक स्त्री है, क्या मृत्यु गर्भवती रहने के दौरान प्रसव के समय या गर्भावस्था के पश्चात, 6 सप्ताह की अवधि में हुई है:** (निम्न प्रविष्टियों में से उचित पर निशान लगाइये)
(1) हाँ   (2) नहीं

(18) **यदि धूम्रपान का आदी था, यदि हां तो कितने वर्षों से ?**

(19) **क्या किसी भी रूप में तम्बाकू खाने का आदी था तो कितने वर्षों से ?**

(20) **यदि किसी भी रूप में सुपारी खाने का आदी है**
(पान मसाला को सम्मिलित करते हुए) तो कितने वर्षों से ?

(21) यदि मदिरापान का आदी है तो कितने वर्षों से है ?

(स्तम्भों को भरने के पश्चात् बांई ओर अपने हस्ताक्षर कीजिए)

पंजीयक द्वारा भरे जाने हेतु

पंजीकरण संख्या:   पंजीकरण की तारीख
मृत्यु की तारीख :   लिंग (1) पुरुष (2) स्त्री
आयु : वर्ष: माह: दिन : घंटे :
मृत्यु का स्थान (1) अस्पताल/संस्थान (2) गृह (3) अन्य स्थान

पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर

पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर पंजीकरण इकाई

प्रपत्र संख्या 3 (देखिए नियम 5)

मृत जन्म प्रतिवेदन

विधिक सूचना

यह भाग जन्म पंजिका में लगाया जाना है।

सूचनादाता द्वारा भरा जाता है।

(1) **जन्म तारीख :** (शिशु के जन्म की वास्तविक तारीख, माह व सन् लिखिए जैसे : 1.1.2000)

(2) **लिंग :** (पुरुष या स्त्री लिखिए) (संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(3) **(क) पिता का नाम**
(पूरा नाम जैसा कि सामान्तया लिखा जाता है)
(ख) माता का नाम
(पूरा नाम जैसा कि सामान्यतया लिखा जाता है)

(4) **माता/पिता के स्थाई निवास का पता :**

(5) **जन्म स्थान :** (नीचे दी गई प्रविष्टि में से किसी एक पर सही का चिन्ह लगाएं तथा अस्पताल/संस्थान का नाम या उस घर का पता लिखें जहां शिशु का जन्म हुआ है।)

(1) अस्पताल/संस्थान कानाम :

(2) घर का पता :

(6) सूचनादाता का नाम :
पता :

(एक से 12 तक के स्तम्भों की पूर्ति करने के पश्चात् सूचनादाता दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करेगा।)

सूचनादाता के हस्ताक्षर
तारीख या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

पंजीयक द्वारा भरे जाने हेतु

पंजीकरण सं. पंजीकरण की तारीख
पंजीकृत इकाई जिला :
नगर/गांव :
अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर

मृत जन्म प्रतिवेदन

सांख्यिकी सूचना

यह भाग अलग करके सांख्यिकीय प्रक्रिया हेतु भेजा जाना है

सूचनादाता द्वारा भरा जाता है।

(7) **माता के निवास स्थान नगर / गांव :** (स्थान जहां सामान्यतया माता रहती हो। यह उस स्थान जहां शिशु का जन्म हुआ है से अलग हो सकता है। घर का पता लिखना आवश्यक नहीं है)

(क) नगर/ गांव का नाम :

(ख) गांव है या शहर : (नीचे दी गई प्रविष्टियों में से सही पर चिन्ह लगाएं)
(1) नगर (2) गांव

(ग) जिले का नाम :

(घ) राज्य का नाम

(8) **शिशु जन्म के समय माता की आयु (पूर्ण वर्षों में) :**

(9) **माता का का शैक्षणिक स्तर :** (शिक्षा का पूर्ण स्तर लिखिए- उदाहरणार्थ यदि कक्षा VII तक पढ़ा है किन्तु कक्षा VI उत्तीर्ण की है, उस स्थिति में कक्षा VI लिखिए)

(10) **प्रसव के दौरान उपलब्ध कराई गई परिचर्या :** (निम्न में से उचित प्रविष्टि पर चिन्ह लगाईये)
(1) संस्थानिक-सरकारी
(2) संस्थानिक-निजी या गेरसरकारी
(3) डॉक्टर, नर्स या प्रतिशिक्षित दाई
(4) परम्परागत जन्म परिचारक
(5) सम्बन्धियों या अन्य द्वारा

(11) **गर्भावस्था की अवधि (सप्ताहों में) :**

(12) **गर्भधारण के दौरान मृत्यु का कारण (यदि कोई हो):**

स्तम्भों को भरने के पश्चात् बांई ओर अपने अपने हस्ताक्षर कीजिए।

नाम: कोड सं.
जिला :
तहसील : पंचायत समिति
नगर/गांव :
पंजीकरण इकाई

प्रपत्र संख्या 3

एक से अधिक शिशुओं के जन्म के मामलों में प्रत्येक शिशु से संबंधित प्रपत्र अलग-अलग भरा जायेगा। नीचे दिए गए अभ्युक्ति स्तम्भ में दो जुड़वां या तीन जुड़वां जन्म जैसा भी मामला हो लिखा जायेगा।

सूचनादाता द्वारा भरा जाता है।

पंजीयक द्वारा भरे जाने हेतु

पंजीकरण संख्या: पंजीकरण की तारीख
जन्म तारीख :
लिंग (1) पुरुष (2) स्त्री
जन्म का स्थान (1) अस्पताल/संस्थान (2) गृह

पंजीयक का नाम व हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या --4

(देखिए नियम 7)

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय प्रमाणपत्र

(अस्पताल में भर्ती रोगी, मृत जन्मों के लिये उपयोग नहीं लाया जायें)

प्रपत्र संख्या 2 (मृत्यु प्रतिवेदन) के साथ रजिस्ट्रार को भेजा जाए

अस्पताल का नाम .....

मैं प्रमाणित करता हूं कि उस व्यक्ति जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं कि मृत्यु अस्पताल के वार्ड संख्या ..... दिनांक ..... को पूर्वाह्न/अपराह्न ..... बजे हुई है।

मृतक का नाम.....

	मृत्यु के समय आयु				
लिंग	यदि एक वर्ष या अधिक हो तो आयु वर्षों में	यदि एक वर्ष से कम हो तो आयु मास में लिखें	यदि एक माह से कम हो तो आयु दिनों में लिखें	यदि आयु एक दिन हो तो आयु घण्टों में लिखें	कार्यालय उपयोग हेतु
1. पुरुष 2. स्त्री					
	मृत्यु का कारण			बीमारी के प्रारम्भ और मृत्यु के बीच अन्तराल लगभग	
1.	तात्कालिक कारण बीमारी, क्षति या कॉम्पलीकेशन्स का उल्लेख कीजिए, जिसके कारण मृत्यु हुई है, मृत्यु कैसे हुई है, अर्थात् हृदय गति रूक जाने से दुर्बलता आदिसे, उसका उल्लेख न करें।	(क) ..... के कारण (या के परिणाम स्वरूप)			
	पूर्ववर्ती कारण :- अस्वस्थ्य (विकृत), यदि कोई हो, जिससे उपर्युक्त कारण उत्पन्न हुआ तथ अन्तिम अन्तर्निहित दशा का उल्लेख कीजिए।	(क) ..... के कारण (या के परिणाम स्वरूप)			
2.	अन्य महत्वपूर्ण दशायें जिनका मृत्यु में योगदान रहा है, किन्तु वे उस रोग या दशा से सम्बन्धित नहीं है जिससे मृत्यु हुई है	(क)			

मृत्यु का प्रकार — क्षति कैसे हुई

(1) प्राकृतिक (2) दुर्घटना (3) आत्महत्या (4) मानव द्वारा हत्या

(5) अन्वेषण शेष है।

यदि मृतक महिला थी, तो मृत्यु का सम्बन्ध गर्भ से था। (1) हां (2) नहीं

यदि हां, क्या प्रसूति हुई (1) हाँ (2) नहीं

मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने वाले
चिकित्सा परिचार का नाम एवं हस्ताक्षर
सत्यापन की तारीख .....

(अलग करके मृतक के सम्बन्धी को दीजिये)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....
इस अस्पताल में दिनांक ..... को भर्ती किया गया था और उसकी मृत्यु दिनांक ..... को हो गई है।

चिकित्सक
(चिकित्सा अधीक्षक, अस्पताल का नाम)